(215)

न्यायालय – राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : एम0 के0 सिंह

सदस्य

पुर्नविलोकन प्रकरण कमांक 615–I/2016 विरूद्ध आदेश दिनांक 14–12–2015 पारित द्वारा सदस्य, राजस्व मण्डल, म.प्र. ग्वालियर प्रकरण कमांक निगरानी 1166–दो/2007

बटेश्वर दयाल पुत्र स्व. श्री छोटेलाल मृत्यु पश्चात
वारिसानः–

1– राजेन्द्र प्रसाद 2– अरबिन्द कुमार 3– दिलीप
4– धीरज पुत्रगण स्व.बटेश्वर दयाल
निवासीगण– वनखण्डेश्वर रोड़, भिण्ड म.प्र.
5– श्रीमती शशि बाला पत्नी स्व.श्री एच.एन.त्रिवेदी
निवासी–पन्ना नाका सतई रोड, छतरपुर म.प्र.
6– श्रीमती समन मिश्रा पत्नी अरविन्द मिश्रा
निवासी–इनकम टैक्स कॉलोनी,भोपाल म.प्र.
7– मीना अवस्थी पत्नी विश्वेश्वर दत्त अवस्थी
निवासी–द्वारिका कॉलोनी, नई दिल्ली .....आवेदकगण

विरूद्ध

1– सुरेन्द्र बाबू मिश्रा पुत्र स्व. रसिक लाल मिश्रा
2– बीरेन्द्र बाबू मिश्रा पुत्र स्व. रसिक लाल मिश्रा
द्वारा–उत्तराधिकारीगण
(अ) श्रीमती निर्मला देवी पत्नी स्व. श्री बीरेन्द्र बाबू मिश्रा
(ब) विकम मिश्रा पुत्र स्व.श्री बीरेन्द्र बाबू मिश्रा
(स) गौतम मिश्रा पुत्र स्व. श्री बीरेन्द्र बाबू मिश्रा
3– रविन्द्र बाबू मिश्रा पुत्र स्व.श्री रसिकलाल मिश्रा
4– विजयशरण मिश्रा पुत्र स्व. श्री रामचन्द्र
5– अभयशरण मिश्रा पुत्र स्व. श्री रामचन्द्र मिश्रा
6– अजयशरण मिश्रा पुत्र स्व. श्री रामचन्द्र मिश्रा
7– अवधेश मिश्रा पुत्र स्व. श्री रामचन्द्र मिश्रा
8– डॉ.अखिलेशशरण मिश्रा पुत्र स्वं. श्री रामचन्द्र मिश्रा

9– विवेक त्रिपाठी पुत्र राममोहरन त्रिपाठी
10– श्रीमती शांति देवी पत्नी मंगल तिवारी
11– श्रीमती पुष्पा देवी पत्नी गिरिशचन्द्र द्विवेदी
12– श्रीमती उषा देवी पत्नी सुरेश तिवारी
निवासीगण–वनखण्डेश्वर रोड़ भिण्ड म.प्र. .....अनावेदकगण

———

(आवेदकगण की ओर से अभिभाषक श्री एस.के.वाजपेयी)

:: आदेश ::

(आज दिनांक 23 सितम्वर, 2016 को पारित)

यह पुर्नविलोकन आवेदन इस न्यायालय द्धारा प्रकरण कमांक 1166–दो/2007 निगरानी में तत्कालीन सदस्य द्वारा पारित आदेश दिनांक 14–12–2015 के विरूद्ध म.प्र. भूं–राजस्व संहि 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जाएगा) की धारा 51 के अंतर्गत इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है।

2– प्रकरण का सारॉश यह है कि,अनावेदक क.1 ने सहायक बंदोवस्त अधिकारी भिण्ड के समक्ष आवेदन पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि ग्राम मनपुरा स्थित भूमि सर्वे कमांक 188 रकबा 0.773 हैक्टर पर उसके पिता स्व. रसिकलाल मौरूसी कृषक दर्ज है उसके बाद मैं तथा मेरे दो भाई उनके बैध वाारिस होकर उक्त भूमि पर खेती कर रहे हैं इस कारण पिता के स्थान हम तीनों बैध वारिसान का नाम इन्द्राज किया जावें। अनावेदक के आवेदन पर से सहायक बन्दोवस्त अधिकारी भिण्ड ने प्र0क0 48/93–94 अ–6 दर्ज कर कार्यवाही प्रारंभ की, इसी दौरान बंदोवस्त कार्यवाही समाप्त होने पर प्रकरण तहसीलदार भिण्ड को अंतरित किया गया। तहसीलदार भिण्ड द्वारा प्र0क0 25/95–96 अ–6 दर्जकर कर आदेश दिनांक 17–2–1998 को अनावेदक क.1 से 3 एवं महिला जमुनादेवी पत्नि स्व. रसिकलाल का नाम अभिलेख में दर्ज करने के आदेश दियें। इस आदेश के विरूद्ध अनुविभागीय अधिकारी भिण्ड के समक्ष अपील प्र0क0 28//2004–05 प्रस्तुत की गई जो आदेश दिनांक 29–5–2006 से अपील निरस्त की गई। इस आदेश के विरूद्ध अपर आयुक्त, चम्बल संभाग मुरैना के समक्ष

अपील प्र0क0 368/2005–06 प्रस्तुत हुई जो आदेश दिनांक 25–5–2007 को निरस्त की गई। अपर आयुक्त के आदेश के विरूद्ध आवेदकगण द्वारा इस न्यायालय में निगरानी प्र0क0 1166–दो/2007 पेश की गई जो तत्कालीन सदस्य द्वारा आलोच्य आदेश दिनांक 14–12–2015 द्वारा निरस्त की गई है। राजस्व मण्डल के उक्त आदेश से परिवेदित होकर,यह पुर्नविलोकन आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है।

3– आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से यह तर्क दिए गए है कि विवादित भूमि का पक्का कृषक मोड़ पुत्र अयोध्या प्रसाद था, उन्होंने अपनी भूमि आवेदकगण के पिता को उपकृषक के रूप में कृषि हेतु दी गई तब से आवेदक के पिता निरन्तर कृषि करते चले आ रहे है एवं उनकी मृत्यु के बाद आवेदकगण का वास्तविक आधिपत्य है। विवादित भूमि से संबंधित अभिलेखो में त्रुटिवश रसिकलाल का नाम कृषक के रूप में अंकित हुअ था रसिकलाल की मृत्यु 1975 में हो गयी थी रसिकलाल के उत्तराधिकारियों ने रसिकलाल के नाम की प्रविष्टि का अनुचित लाभ लेने के लिये रसिकलाल की मृत्यु के 20 वर्ष बाद सहायक बन्दोवस्त अधिकारी के समक्ष 8–1–1994 को आवेदन पेश कर रसिकलाल के स्थान पर उनका नाम अंकित करने का निवेदन किया गया था।

यह तर्क दिया गया कि बन्दोवस्त की कार्यवाही बन्द हो जाने के बाद प्रकरण तहसीलदार को अन्तरित हुआ तहसीलदार द्वारा केवल पटवारी के प्रतिवेदन के आधार पर उक्त आवेदन स्वीकार करने की गम्भीर भूल की है। तहसीलदार द्वारा न तो प्रकरण में उद्घोषणा निकाली गयी और ना ही विधिवत जांच की गयी आवेदकगण के पिता द्वारा जो आपत्ति सहायत बन्दोवस्त अधिकारी के समक्ष की थी उसे अनदेखा कर आपत्तिकर्ता को सूचना दिये बिना मनमाने रूप से विधि विरूद्ध आदेश पारित किया गया।

यह तर्क दिया गया कि, आवेदकगण के पिता का उक्त विवादित भूमि पर सन् 1970 से निरन्तर आधिपत्य चला आ रहा था रसिकलाल की मृत्यु 1979 में हुई रसिकलाल के नाम की प्रविष्टि निरर्थक एवं भूमि पर आधिपत्य के संबंध में व्यर्थ थी

जिसके संबंध में आवेदकगण के पिता द्वारा आपत्ति में अंकित किया था कि पटवारी अभिलेख की जांच सहायक भू–अधिक्षक से करायी जावें जिसका उल्लेख करते हुये सहायक बन्दोवस्त अधिकारी ने आदेश पत्रिका दिनांक 25–4–1994 लेख की थी। तहसीलदार ने सहायक बन्दोवस्त अधिकारी की आदेश पत्रिका 25–4–1994 के अनुसार कोई कार्यवाही नहीं की तथा इसके विरूद्ध दिनांक 17–2–1998 को रसिकलाल के उत्तराधिकारियों का नाम अंकित करने का अवैधानिक आदेश पारित किया गया। जिसमें रसिकलाल की पत्नी जमुनादेवी का नाम भी सम्मलित किया गया जवकि जमुनादेवी की मृत्यु सन् 1985 में हो चुकी थी। अंत में आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा न्यायदृष्टान्त 1987 रेवेन्यू निर्णय 204 एवं ए.आई.आर. 1954 सुप्रीम कोर्ट 526 का हवाला देते हुए उनके द्वारा इस न्यायालय के आलोच्य आदेश एंव अधिनस्थ न्यायालयों के निर्णय निरस्त कर पुर्नविलोकन स्वीकार किये जाने का अनुरोध किया गया है।

4– अनावेदकगण को सूचना जारी की गई लेकिन उनकी ओर से कोई उपस्थित नहीं उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई।

5– आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता के तर्को पर विचार किया एवं अभिलेख का अवलोकन किया। इस प्रकरण में भूमि सर्वे कमांक 188 रकवा 0.773 हैक्टर के मूल भूमिस्वामी कृषक मोड पुत्र अयोध्या प्रसाद था उनके द्वारा उक्त भूमि आवेदकगण के पिता को उप कृषक के रूप कृषि कार्य करने हेत दी गई थी, तब से आवेदकगण के पिता एवं पिता की मृत्यु के बाद आवेदकगण का उक्त भूमि पर आधिपत्य एंव काविज होकर कृषि कार्य कर रहे है। जिस पर राजस्व अभिलेख में त्रुटिवश रसिकलाल का नाम कृषक के रूप में दर्ज हो गया रसिकलाल की मृत्यु 1975 में हो गयी थी उसके उपरान्त रसिकलाल के उत्तराधिकारियों ने रसिकलाल के नाम की प्रविष्टि का अनुचित लाभ लेकर रसिकलाल की मृत्यु के 20 वर्षो बाद बिना उद्घोषणा एवं विस्तृत जांच किये आवेदकगण को सुनवाई एवं अपनी आपत्ति के समर्थन में साक्ष्य पेश करने का अवसर दिये बगैर केवल पटवारी प्रतिवेदन के आधार पर तहसीलदार से दिनांक 17–2–1988 को अपना नाम अंकित करा लिया गया, तहसीलदार के उक्त अवैधानि

आदेश को अनुविभागीय अधिकारी, अपर आयुक्त एवं राजस्व मण्डल द्वारा स्थिर रखा गया है। इस प्रकरण में पुर्नविलोकन के पर्याप्त आधार है।

6– अभिलेख से यह भी स्पष्ट होता है कि आवेदकगण का विवादित भूमि पर सन् 1970 से वास्तविक आधिपत्य चला आ रहा है। आवेदकगण का आधिपत्य पक्का कृषक से हुये अनुबंध के आधार पर है जिसके पालन में आवेदकगण विवादित भूमि पर नियत लगान जमा करता चला आ रहा है जिसके कारण आवेदकगण को विवादित भूमि पर भूमिस्वामी अधिकार उत्पन्न हो गयें है। इस प्रकार तहसीलदार, अनुविभागीय अधिकारी, अपर आयुक्त एवं राजस्व मण्डल का आदेश न्यायिक, विधिसम्मत एवं औचित्यपूर्ण न होने से स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है।

7– उपरोक्त विवेचना के आधार पर इस न्यायालय द्वारा पारित आलोच्य आदेश दिनांक 14–12–2015, अपर आयुक्त चंबल संभाग, मुरैना द्वारा पारित आदेश दिनांक 25–5–2007, अनुविभागीय अधिकारी भिण्ड द्वारा पारित आदेश दिनांक 29–5–2006 एवं तहसीलदार द्वारा पारित आदेश दिनांक 17–2–1998 निरस्त किये जाकर, पुर्नविलोकन आवेदन पत्र स्वीकार किया जाता है, तथा तहसीलदार को निर्देश दिये जाते है कि वह अनावेदकगण का नाम विलोपित कर आवेदकगण का नाम खसरे में अंकित करें।

(एम.के.सिंह)
सदस्य
राजस्व मण्डल
मध्य प्रदेश, ग्वालियर